न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

श्रीमति हल्की देवी पत्नि श्री मिक्की लाल आयु 52 साल जाति माली निवासी पावर हाउस के सामने, दीवान का बाग, करौली तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) करौली तहसील व जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 09.02.2007 बाबत नामांतरकरण संख्या 2005 कस्बा करौली न्यायालय तहसीलदार करौली जिसकी रूह से नामांतरकरण खारिज किया गया है के विरूद्ध तहत धारा 73 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 30.10.2019

यह अपील अपीलाण्ट की ओर से वकील अपीलाण्ट ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि नामांतरकरण संख्या 2005 कस्बा करौली निर्णय दिनांक 09.02.2007 ने गलत निर्णय पारित करते हुये नामांतरकरण बिना सुनवाई के एकपक्षीय में खाारिज कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 7577 व 7593 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को अपीलाण्ट ने अब्दुल सबूर खान से दिनांक 20.03.2004 को 1,25,000/– रूपयें में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है उक्त आराजी कभी मंदिर माफी की भूमि या मंदिर के खुदकाश्त खातेदारी व कब्जे की नही रही है बल्कि सम्वत 2015 में भू–प्रबन्ध के समय दयाकिशन पुत्र खेमा माली के खातेदारी व कब्ज की रही है दयाचन्द द्वारा भूमि अब्दुल सबूर खान को विक्रय की गयी है और सबूरखान से अपीलाण्ट ने खरीद की है पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के हक में उक्त नामांतरकरण दर्ज किया है और के बाद गिरदावर हल्का द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से नामांतरकरण में उक्त भूमि का भू–प्रबन्ध रिकार्ड में माफी में है का गलत इन्द्राज नामांतरकरण के कॉलम में दर्ज करवाया है जो नामांतरकरण से स्पष्ट है और उक्त नोट व आई.एल.आर. की गलत रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोण्डेण्ट ने जैर अपील नामांतरकरण खारिज करने का विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय दिनांक 09.02.2007 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 26.09.2016 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने जाने पर पटवारी हल्का द्वारा भूमि अब्दुल सबूर खान के नाम ही दर्ज होने व अपीलाण्ट का नामांतरकरण दिनांक 09.02.2007 को खारिज हो जाने की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 27.09.2016 को नकल नामांतरकरण रिकार्ड रूम में आवेदन कर दिनांक 29.09.2016 को नकल नामांतरकरण प्राप्त होने पर हुयी है इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी नही है अपीलाण्ट औरत जात है। अनपढ़ कृषक है इसलिये दिनांक 09.02.2007 से दिनांक 26.09.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में कंडौन किये जाने योग्य है जिसके लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत हैं।

जिला कलक्टर
करौली

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 09.02.2007 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली निरस्त किया जावें।

अपील अपीलाण्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये मूल नामांतरकरण संख्या 2005 वाके ग्राम करौली तहसील करौली का प्राप्त किया।

बहस उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपने बहस कथन में अपीलमीमो को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी भूमि कभी भी मंदिर माफी की भूमि नही रही है। संवत 2015 से पूर्व विक्रेता इस भूमि पर काबिज रहा है। अपीलाण्ट द्वारा जरिये विक्रयपत्र से भूमि क्रय की गई है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट दर्ज कर उसी आधार पर तहसीलदार करौली ने नामांतरकरण विधिवत खारिज किया गया है। सैटिलमेंट में दयाकिशन माली की खातेदारी थी जो खुदकाश्त की होने पर उसके नाम खातेदारी हो गई और निरंतर खातेदार रहने पर भूमि का अंतिम खातेदार द्वारा विक्रय किया गया है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में कहा है कि विवादित आराजी साबिक रिकार्ड में मंदिर माफी के नाम थी। अवैध रूप से यह भूमि संवत 2081 खैमा माली के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई है जो अवैध थी उसके पुत्र दयाकिशन के नाम खातेदारी होने पर अब्दुल सबूर खान को विक्रय कर दी गई और उसके बाद अब्दुल सबूर खान ने अपीलाण्ट को विक्रय कर दिया गया। ये सभी विक्रय अवैध व शून्य है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्षकार अभिभाषकगण एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं नामांतरकरण संख्या 2005 निर्णय दिनांक 09.02.2007 का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह नामांतरकरण पटवारी हल्का करौली द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक वृत करौली ने अपनी जांच रिपोर्ट में विवादित आराजी को भू–प्रबंध पंजिका में माफी मंदिर के नाम दर्ज होने का नोट अंकित करने पर तहसीलदार करौली ने इसे आधार मानकर उक्त नामांतरकरण को खारिज किया गया है। दौराने बहस वकील अपीलाण्ट का कथन था कि विवादित भूमि कभी माफी मंदिर की नही रही है जबकि पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत दस्तावेज खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 के खाता में वर्णित आराजी 7577 व 7593 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा माफी मंदिर ठाकुरजी कमलबिहारी जी व एहतमाम शंकर गजानंद लक्ष्मीनारायण पिसरान मदन कौम ब्राह्मण साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मात्र दया किशन पुत्र खैमा जाति माली सा.देह मात्र कृषक दर्ज रिकार्ड है। बाद में जो भी खातेदारी दर्ज की गई है वह गैर कानूनी व अवैध है। दयाकिशन पुत्र खेमा माली ने अपने नाम खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाकर अब्दुल सबूर खान को तथा अब्दुल साबिर ने अपीलाण्ट को बेचान किया गया है जो कानूनन गलत है। यदि दयाकिशन पुत्र खेमा माली संवत 2015 में भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज था तो वह मंदिर के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र है। विक्रयपत्र के नामांतरकरण को तहसीलदार करौली द्वारा विधि अनुसार खारिज किया गया है जिसमें हम तहसीलदार करौली के

जिला कलक्टर
करौली

निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नही समझते है। अपील अपीलाण्ट माफी मंदिर भूमि होने पर स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलाण्ट खिलाफ रेस्पोण्डेण्ट्स सारहीन, तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार करौली को उनके मूल नामांतरकरण के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली